जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) से (ग) त्रिपुरा में गुमति परियोजना, खोवाई परियोजना तथा मनु परियोजना निर्माण के उन्नत चरण में हैं तथा उनपर अद्यतन अनुमानित लागत का 75% खर्च कर दिया गया है। त्रिपुरा में कोई जल विद्युत परियोजना निर्माणधीन नहीं है। गुमति, खोवाई एवं मनु परियोजनाओं पर मार्च, 1996 तक क्रमशः 24.14 करोड़ रुपए, 38.38 करोड़ रुपए तथा 24.81 करोड़ रुपए का प्रत्याशित व्यय है।

(घ) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1997-98 के दौरान गुमति, खोवाई तथा मनु परियोजनाओं पर क्रमशः 0.80 करोड़ रुपए, 0.45 करोड़ रुपए तथा 0.75 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित (ईयरमार्क्ड) की गई थी।

(ङ) लागत में वृद्धि का कारण समय-समय पर मजदूरी तथा सामग्री की कीमत में वृद्धि होना, प्रारंभिक प्रस्ताव में अपर्याप्त प्रावधान करना, डिजाईन में परिवर्तन, परियोजना के विभिन्न घटकों में परिवर्तन, भूमि अधिग्रहण में देरी, पर्यावरण एवं वन स्वीकृति इत्यादि है।

गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भूमिगत जल के स्तर में गिरावट

4263. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला: क्या जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात के कच्छ सौराष्ट्र क्षेत्रों में भूमिगत जल स्तर में निरंतर गिरावट आती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो जल स्तर में इस गिरावाट को रोकने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) क्या गुजरात सरकार द्वारा प्रभावित जिलों में भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने संबंधी योजनाएं मंत्रालय भेजी गयी है; और

(घ) क्या यह मंत्रालय प्राथमिकता के आधार पर इन योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करेगा और उनके कार्यान्वयन के लिये केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायेगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा किए भूजल स्तर के दीर्घकालीन प्रेक्षणों से पता चला है कि गुजरात के जूनागढ़, अमरेली, जामनगर, राजकोट, सुरेन्द्र नगर, कच्छ, भावनगर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, गांधी नगर, सबरकांठा, महसाना और कच्छ सौराष्ट्र क्षेत्र के बनासकांठा जिलों में स्थानीय पाकेटों में भूजल के स्तर में धीरे-धीरे गिरावट आई है।

(ख) भूजल स्तर में गिरावट को रोकने के लिए संघ सरकार द्वारा किए गए उपायों में ये शामिल हैं:-

(i) गुजरात सहित सभी राज्यों/संघ शासित प्रशासनों को माडल बिल परिचालित करना ताकि भूजल विकास के विनियमन और नियंत्रण के लिए उपयुक्त विधान लागू किया जा सके।

(ii) गुजरात सहित सभी राज्यो/संघ शासित प्रशासनों को भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण पर एक मैनुअल प्रचालित करना ताकि भूजल स्तरों की गिरती प्रवृत्ति को रोकने के लिए वे क्षेत्र विशेष की कृत्रिम पुनर्भरण स्कीमें तैयार कर सकें।

(iii) भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण में राज्य सरकार की सहायता के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीम तैयार करना। स्कीम परामर्शी चरण पर है।

(iv) भूजल प्रबंध और विकास के विनियमन और नियंत्रण के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड का प्राधिकरण के रूप में गठन करना।

(ग) गुजरात सरकार ने "उत्तर गुजरात के अति दोहन जलभृतों में सतही जल का पुनर्भरण बढ़ाने के" लिए 110.65 करोड़ रुपए की अनुमानत लागत का एक परियोजना प्रस्ताव भेजा था।

(घ) जल संसाधन मंत्रालय ने मार्च, 1996 में परियोजना प्रस्ताव वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) को भेजा है ताकि इसे किसी बाह्य दाता एजेंसी से सहायता पर विचार किया जा सके।